



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241155
CG-DL-E-16122022-241155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]
No. 664]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/81/16/डीडी/62/आईएनएफ/16/डीसी/1073/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. पार्थ प्रतिम मुखोपाध्याय (सदस्यता संख्या 056366), स्वप्नश्री (तामलुक घाटल सहकारी बैंक के पीछे), बहग़्राम, पंसकुरा आरएस, पंसकुरा (पश्चिमी बंगाल) -721152 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. पार्थ प्रतिम मुखोपाध्याय (सदस्यता संख्या 056366) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 90 (नब्बे) दिन के भीतर किया जाना था और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. पार्थ प्रतिम मुखोपाध्याय (सदस्यता संख्या 056366) का नाम,

16 दिसंबर, 2022 से 04 (चार) मास [03 (तीन) मास और अतिरिक्त 01 (एक) मास] की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./481/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/81/16/DD/62/INF/16/DC/1073/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Partha Pratim Mukhopadhyay (Membership No. 056366), Swapnasree(Behind Tamluk Ghatal Co-Operative Bank), Bahagram, Panskura RS, PANSKURA(West Bengal)-721152**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Partha Pratim Mukhopadhyay (Membership No. 056366)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs) only to be paid within 90 (ninety) days and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for an additional period of 1(one) month. Since the Respondent had failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Partha Pratim Mukhopadhyay (Membership No. 056366)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of **04(Four) months [03(three) months plus additional 1(one) month]** with effect from 16th December, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./481/2022-23]